न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/397

मिसल नम्बर– 32/2023

जमना बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्वर्गीय रामचन्द्र बैरवा निवासी मकान नं0 519 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.लाडबाई पत्नि राधेश्याम पुत्री जमना बाई जाति बैरवा निवासी रामदेव मंदिर के पास पुरोहित जी की टापरिया कोटा थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा

2.मोहिनी बाई पत्नि ओमप्रकाश जाटवा पुत्री जमना बाई निवासी मक्सी रोड 16/8 किशनपुरा उज्जैन मध्यप्रदेश

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक...22/12/25

उपस्थितिः–

1.श्री विघाशंकर गोस्वामी प्रार्थी अधिवक्ता

2.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक वृद्ध व सीनियर सिटीजन महिला है प्रार्थिया के पति का लम्बे समय पूर्व निधन हो चुका है तथा प्रार्थिया के केवल मात्र दो पुत्रियां प्रतिवादीगण है कोई सुलबी पुत्र नहीं है। प्रार्थिया के उसके पति की कमाई का बनाया हुआ मकान नं0 519 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा थाना महावीर नगर कोटा में स्थित हैं जिसमें प्रार्थिया अपने पति के मरने के बाद अकैली ही निवास करती थी तथा बमुश्किल मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रखी थी। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की दोनो विवाहित पुत्रियां है जिनका विवाह प्रार्थिया ने अपने पति के जीवन काल में ही यथा शक्ति दान दहेज कर विवाह कर दिया गया था अब प्रार्थिया की प्रोपर्टी में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं था। किन्तु प्रार्थिया के पति के मरने के बाद अप्रार्थीगण ने षडयन्त्र पूर्वक साजिश रचकर अपने पतियों को साथ लेकर आकर प्रार्थिया के मकान में जबरन घुस गये और प्रार्थिया के मकान के अलावा कृषि आराजीयात भी है जिस पर भी अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अधिकारीयों से सांठ गांठ कर पति

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का फौती इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम भी सह खातेदारान के रूप में दर्ज करवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थिया का मकान व कृषि आराजीयात को हडपने के प्रयास में है। जब कि प्रार्थिया को हारी बिमारी आदि में कमी सहयोग नहीं देते है तथा प्रार्थिया को पैसे कोडी की आवश्यकता पडती है तो कभी सहयोग नहीं करते बल्कि सदैव प्रार्थिया से रूपये पैसों की मांग करती है तथा दबाव बनाते है तथा नही देने पर प्रार्थिया के साथ गाली गलोच लडाई झगड़ा करते है तथा जान से मारने की धमकियां देते हैं अप्रार्थीगण के विरूद्ध थाना महावीर नगर कोटा में शिकायत की थी लेकिन यह कहकर टाल दिया गया कि आपका आपसी पारिवारिक मामला है तो आप बैठकर समझौता करले अथवा न्यायालय में कार्यवाही करें। अप्रार्थीगण असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर शीघ्र ही प्रार्थीया को उसके स्वामित्व वाले मकान नं0 519 सेक्टर 7 केशवपुरा पर जबरन कब्जा कर प्रार्थिया को बेदखल करने के प्रयास में है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा षडयन्त्र पूर्ण तरीके से असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर प्रार्थिया को अपने स्वामित्व मालिकाना वाले मकान से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया तते प्रार्थिया के समदा रिहायश की समस्या उत्पन्न हो जावेगी तथा मकान से बेदखल हो जावेगी और रहने की समस्या उत्पन्न हो जावेगी तथा बुढापा बेकार हो जावेगा। उसके सामने कई प्रकार के वाद विवाद एवं सेटीगेशन पैदा हो जावेगी। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य की पूर्ति में कृषि आराजीयात पर भी अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया व बेचान आदि कर दिया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थिया के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। इसलिये प्रार्थिया की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण हेतु अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के मकान में जबरन कब्जा नहीं करने से तथा प्रार्थिया की कृषि आराजीयात पर कब्जा नहीं करने से तथा आराजीयात को अन्यत्र बेचान, रहन आदि नहीं करने तथा प्रार्थिया को बेदखल नहीं करने हेतु तथा प्रार्थिया के शान्ति पूर्ण कब्जे में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द करवाया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर प्रार्थिया के साथ लडाई झगड़ा नहीं करने हेतु तथा प्रार्थिया के मकान कब्जा करने से रोका जावे तथा प्रार्थिया की जमीन को खुर्द बुर्द ख0नं0 बेचान आदि करने हेतु पाबन्द करते हुये पाबन्द करने की कृपा करें तथा प्रार्थिया को प्रतिपक्षीगण से दस दस हजार रूपया मासिक खर्चा भरण पोषण करने हेतु दिलवाया जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान व कृषि आराजीयात प्रार्थिया की

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बल्कि उक्त मकान व कृषि आराजीयात प्रतिपक्षीगण के पिता श्रीराम लाल के मालिकाना स्वामित्व की हैं। रामलाल जी के देहवसान के पश्चात उनके खाते की कृषि आराजीयात कानूनन उनकी वारिस होने से अप्रार्थीगण व प्रार्थिया को प्राप्त हुई उक्त भूमि में अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों द्वारा सहखातेदार के रूप से विधि अनुसार दर्ज की गई है स्वयं प्रार्थिया द्वारा पूर्व में राजस्व न्यायालय के यहां चले वादों में अप्रार्थीगण को अपने साथ सहखातेदार मनाते हुये कथन किये गये। इस मत में लगाये गये सभी आक्षेप पूर्णतया मनगढ़ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया का पूर्ण ख्याल रखा जाता है और हारी बिमारी में सेवा सृश्रुषा की जाति है किन्तु फिर भी अप्रार्थिया द्वारा मनगढत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी के किसी मकान पर जबरदस्ती कोई भी कब्जा नहीं किया है। उक्त मकान में प्रतिपक्षीगण प्रारम्भ से ही निवास करती चली आ रही है प्रार्थीगण अप्रार्थिया से उक्त मकान को खाली करवाकर कब्जा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जब उक्त मकान में प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण शामलाती रूप से काबिज चली आ रही है तो इस मद में अंकित कथन स्वतः ही मिथ्या साबित हो जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया द्वारा निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र कानून मेन्टेनेबल ना होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या व मनगढत रूप से पेश किया गया है प्राथिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी आधार नही बताया है जिसके तहत प्रार्थिया प्रतिपक्षीगण से 10–10 हजार रूपये प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना में अंकित कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया को कभी सहयोग नहीं करते बल्कि सदैव प्रार्थिया से रूपये पैसों की मांग करती है तथा दबाव बनाते है तथा नही देने पर प्रार्थिया के साथ गाली गलोच लडाई झगड़ा करते है तथा जान से मारने की धमकियां देते हैं। अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में किसी प्रकार को साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा किया गया है। प्रार्थीया अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रही है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 519 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही मकान नं0 519 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा से बेदखल करने का प्रयास करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। चूंकि प्रार्थीया एक बुजुर्ग एवं विधवा महिला है। वृद्धावस्था के कारण प्रार्थीया किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थीया अपनी सार–सभांल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की पुत्रियॉ है जिस कारण से अप्रार्थीगण का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुर्जुग माता की सेवा सुश्रुषा करे। उनके भोजन, ईलाज इत्यादि की व्यवस्था करे। अतः अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 1500/–, 1500/– मासिक अर्थात कुल 3,000/– रूपयें भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा